

## नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

मांग संख्या 68

## नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	920.25	12.75	933.00	1132.50	14.38	1146.88	1127.50	14.38	1141.88	1291.00	14.79	1305.79	
पूँजी	53.27	...	53.27	65.50	...	65.50	70.50	...	70.50	92.00	...	92.00	
जोड़	973.52	12.75	986.27	1198.00	14.38	1212.38	1198.00	14.38	1212.38	1383.00	14.79	1397.79	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	9.89	11.88	21.77	15.00	13.38	28.38	14.25	13.38	27.63	17.00	14.29	31.29
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा													
2. ग्रिड-इंटरएक्टिव और प्रसारित अक्षय विद्युत													
2.01 ग्रिड-इंटरएक्टिव और प्रसारित अक्षय विद्युत	2810	532.60	...	532.60	664.00	...	664.00	800.80	...	800.80	750.88	...	750.88
2.02 घटाइए - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरी की गई राशि	2810	...	...	...	...	...	...	-160.80	...	-160.80	-35.88	...	-35.88
कुल		532.60	...	532.60	664.00	...	664.00	640.00	...	640.00	715.00	...	715.00
3. ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	2810	168.17	...	168.17	176.00	...	176.00	180.00	...	180.00	124.50	...	124.50
	3601	31.00	...	31.00	19.00	...	19.00	20.00	...	20.00	22.00	...	22.00
जोड़		199.17	...	199.17	195.00	...	195.00	200.00	...	200.00	146.50	...	146.50
4. शहरी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	2810	36.88	...	36.88	10.00	...	10.00	7.00	...	7.00	22.00	...	22.00
5. अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास													
5.01 अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास													
5.01.01 अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास	2810	108.17	...	108.17	77.50	...	77.50	99.75	...	99.75	180.55	...	180.55
5.01.02 घटाइए - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरी की गई राशि	2810	...	...	...	...	...	...	-2.00	...	-2.00	-4.55	...	-4.55
कुल		108.17	...	108.17	77.50	...	77.50	97.75	...	97.75	176.00	...	176.00
5.02 अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास	4810	3.27	...	3.27	15.50	...	15.50	15.50	...	15.50	16.00	...	16.00
जोड़- अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास		111.44	...	111.44	93.00	...	93.00	113.25	...	113.25	192.00	...	192.00
6. सहायक कार्यक्रम													
6.01 विदेशी सहायता (ईएपी)	2810	0.45	...	0.45	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	20.00	...	20.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
6.02 घरेलू सहायता	2810	41.46	0.87	42.33	44.50	1.00	45.50	42.50	1.00	43.50	36.00	0.50	36.50
जोड़- सहायक कार्यक्रम		41.91	0.87	42.78	50.50	1.00	51.50	48.50	1.00	49.50	56.00	0.50	56.50
7. अन्य व्यय	2810	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	20.00	...	20.00
	3601	0.16	...	0.16	0.40	...	0.40	...	...	...	...	...	...
जोड़		0.16	...	0.16	0.50	...	0.50	...	...	...	20.00	...	20.00
8. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश	4810	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	55.00	...	55.00	76.00	...	76.00
<b>जोड़-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा</b>		<b>972.16</b>	<b>0.87</b>	<b>973.03</b>	<b>1063.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1064.00</b>	<b>1063.75</b>	<b>1.00</b>	<b>1064.75</b>	<b>1227.50</b>	<b>0.50</b>	<b>1228.00</b>
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00	138.50	...	138.50
10. वास्तविक वसूलियां	2810	-8.53	...	-8.53	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>		<b>973.52</b>	<b>12.75</b>	<b>986.27</b>	<b>1198.00</b>	<b>14.38</b>	<b>1212.38</b>	<b>1198.00</b>	<b>14.38</b>	<b>1212.38</b>	<b>1383.00</b>	<b>14.79</b>	<b>1397.79</b>
<b>विकास शीर्ष</b>		<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. बा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. बा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. बा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. बा. सं.</b>	<b>जोड़</b>
<b>ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>													
8.01 भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	12810	50.00	1400.85	1450.85	50.00	950.00	1000.00	50.00	1755.64	1805.64	60.00	1970.00	2030.00
8.02 भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा निगम	12810	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00	16.00	...	16.00
<b>जोड़</b>		<b>50.00</b>	<b>1400.85</b>	<b>1450.85</b>	<b>50.00</b>	<b>950.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>55.00</b>	<b>1755.64</b>	<b>1810.64</b>	<b>76.00</b>	<b>1970.00</b>	<b>2046.00</b>
<b>ग. योजना परिव्यय*</b>													
1. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	12810	973.86	1400.85	2374.71	1080.00	950.00	2030.00	1080.00	1755.64	2835.64	1246.50	1970.00	3216.50
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00	138.50	...	138.50
<b>जोड़</b>		<b>973.86</b>	<b>1400.85</b>	<b>2374.71</b>	<b>1200.00</b>	<b>950.00</b>	<b>2150.00</b>	<b>1200.00</b>	<b>1755.64</b>	<b>2955.64</b>	<b>1385.00</b>	<b>1970.00</b>	<b>3355.00</b>
*शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण परिव्यय का सम्मिलन													
मांग संख्या 102	12810	0.34	...	0.34	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00

1. **सचिवालय:** सचिवालय व्यय हेतु प्रावधान है।

2. **ग्रिड-इंटरएक्टिव और वितरित अक्षय विद्युत:** पवन, लघु पनबिजली, बायोमास विद्युत/सह-उत्पादन, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा तथा सौर विद्युत से लगभग 4145 मेगावाट ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत क्षमता वर्धन; और लगभग 140 मेगावाट समतुल्य ऑफ-ग्रिड/वितरित अक्षय विद्युत प्रणालियों की संस्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान। इन आंकड़ों में सौर मिशन के अंतर्गत संस्थापित की जाने वाली 800 मेगावाट ग्रिड विद्युत और 70 मेगावाट समतुल्य

ऑफ-ग्रिड/वितरित सौर विद्युत प्रणालियां शामिल हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान भी शामिल है।

3. **ग्रामीण अनुप्रयोगों हेतु अक्षय ऊर्जा:** इस प्रावधान का उपयोग 1.25 लाख परिवार किस्म के बायोगैस संयंत्रों का निर्माण करने और कुक स्टोव पर एक नया कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान भी शामिल है।

4. **शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों हेतु अक्षय ऊर्जा:** 0.60 मिलियन वर्गमीटर की सौर तापीय प्रणालियों की संस्थापना ; ऊर्जा दक्ष भवनों को बढ़ावा देना और सौर शहरों के लिए मास्टर योजनाएं (मास्टर प्लान) ।
5. **अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास:** नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास कार्यक्रमलाप ; एमएनआरई के केन्द्रों / संस्थाओं (एसईसी, सी-वैट और एनआईआरई) को सहायता; मानक एवं परीक्षण ; अक्षय ऊर्जा मूल्यांकन (सौर मिशन के अंतर्गत आरंभ किए जाने वाले अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यक्रमलाप सहित )
6. **सहायक कार्यक्रम:** अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की सूचना, प्रचार और विस्तार (आईपीई) ; अंतर्राष्ट्रीय संबंध ; मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण सहित प्रशासन एवं मॉनीटरिंग ; राज्यों को सहायता (सौर मिशन के अंतर्गत आरंभ किए जाने वाले मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमलाप सहित ) ।
7. **अन्य व्यय:** 11वीं योजना के कार्यक्रमों की विभिन्न बची हुई देयताओं का प्रबंध करना।
8. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश:** इसमें भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (इरेडा) को इक्विटी सहायता हेतु प्रावधान शामिल है जिसे विभिन्न नई और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं एवं स्कीमों के स्रोतों तथा इस मंत्रालय के अंतर्गत सैकशन 25 कंपनी, भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा निगम की भी सहायता करने के लिए स्थापित किया गया था।
9. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम हेतु प्रावधान:** इसमें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल है ।